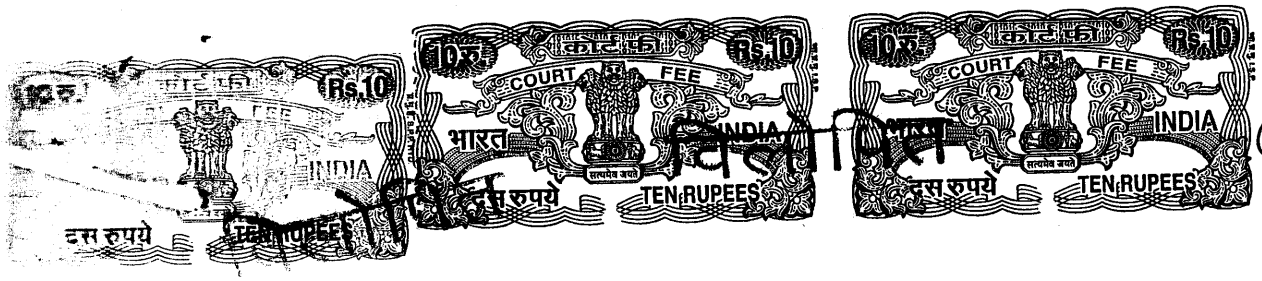

10रु. Rs.10 कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

175

निग० 228-I/17

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

निगरानी कमांक /एक/2017 दिनांक– /01/2017

श्री ... द्वारा आज दि. 16/01/17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्रीमति पुख्खनबाई पत्नि अमृतलाल यादव ,

निबासी ग्राम अनंतपुरा, तहसील एवं जिला टीकमगढ़,

..................आवेदिका

वनाम

Rev 8
16/01/17

म0प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार टीकमगढ, जिला टीकमगढ़ म0प्र0

.... अनावेदक

स्वमेव निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदिका की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदिका द्वारा यह स्वमेव निगरानी इस माननीय न्यायालय में ग्राम अनंतपुरा, तहसील एवं जिला टीकमगढ़ स्थित भूमि खसरा नंबर 545/1जु0 रकवा 0.171 हैक्टेयर पर राजस्व अभिलेख/कंप्यूटर अभिलेख में अपना नाम पूर्ववत दर्ज करवाने का आदेश, संबंधित तहसीलदार को जारी करने वावद प्रस्तुत कर रही है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम अनंतपुरा , तहसील एवं जिला टीकमगढ़ स्थित भूमि खसरा नंबर 545/1 रकवा 29.96 एकड़ गौचर बंजर खसरा पांचसाला में संवत 2018 से 1985–86 तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। तदुपरांत उपरोक्त भूमि में से समय समय पर कुछ भूमियां शासकीय कार्यालयों एवं आबासों वावद अवंटित होती रहीं। उसी भूमि में

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक 228/I/2017 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश **पुख्खन यादव वनाम म0 प्र0 शासन**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17.1.17	1– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा यह स्वमेव निगरानी, आवेदिका का नाम ग्राम अनंतपुरा, तहसील एवं जिला टीकमगढ़ के स्थित भूमि खसरा क्रमांक 545/1 रकवा 0.171 हैक्टेयर पर पूर्ववत भूमिस्वामी के रूप में दर्ज करने वावद प्रस्तुत की है। आवेदिका द्वारा अपनी निगरानी के साथ संवत 2018 से बर्तमान तक के खसरा पांच साला की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत कीं गई हैं, जिनका अवलोकन किया गया। जिनमें उपरोक्त भूमि संवत 2018 में 29.96 एकड़ म0प्र0 शासन गौचर बंजर के रूप में दर्ज थी। उपरोक्त भूमि में से समय समय पर शासकीय प्रयोजनों वावद भूमि का आबंटन होता रहा है, जिनके नाम उपरोक्त भूमि पर राजस्व रिकॉर्ड में लाल स्याही से दर्ज हैं। जिस पर राजधर अहीर नामक ब्यक्ति का बेड़कर अनाधिकृत कब्जा भी दर्ज है, जो कि आवेदिका का ससुर है। बर्ष 1977–78 के खसरा पांचसाला में करीब 25 लोगों के नाम काबिजदार के रूप में दर्ज हैं। आगे के खसरा पांचसाला में भी कई लोगों के नाम काबिजदार के रूप में लगातार दर्ज हैं, जिनमें आवेदिका के ससुर राजधर एवं पति अमृतलाल के नाम भी दर्ज हैं। 1985–86 के खसरा में आवेदिका के पति का नाम अनाधिकृत काबिजदार के रूप में तथा बर्ष 1987–88 में आवेदिका का नाम भी अनाधिकृत काबिजदार के रूप में दर्ज है। जिस पर उसका लगातार कब्जा रकवा 0.171 हैक्टेयर पर दर्ज है। बर्ष 1999–2000 के खसरा पांचसाला में आवेदिका का नाम प्र0 क0 27अ/19(1)/1984–85 आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय टीकमगढ़ के अनुसार खसरा नंबर 545/1जु पर भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है, जो कि	

लगातार 2011–12 तक है। किन्तु बाद में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश में कंप्यूटर अभिलेख में आवेदिका का नाम दर्ज नहीं किया गया है।

आवेदिका का नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के कंप्यूटर अभिलेख में दर्ज नहीं किया गया है, जबकि पूर्व में बर्षों में आवेदिका का नाम उपरोक्त भूमि पर, भूमिस्वामी दर्ज रहा है। यदि किसी राजस्व अभिलेख में कोई लिपिकीय त्रुटि होती भी है तो उसे तहसीलदार मात्र संहिता की धारा 115–116 के तहत ही विधिवत प्रक्रिया का पालन करके संबंधित को साक्ष्य एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करके सुधार कर सकते हैं । बिना किसी पर्याप्त कारण के नाम बिलोपित करना विधि एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वांत के बिपरीत है।

अतः आवेदिका द्वारा प्रस्तुत स्वमेव निगरानी स्वीकार की जाती है, संबंधित तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि ग्राम अनंतपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 545/1 रकवा 0.171 हैक्टेयर पर आवेदिका का नाम पूर्ववत राजस्व अभिलेख/कंप्युटर अभिलेख में भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किया जाबे। इस आदेश से पूर्व से शासन के बिभिन्न विभागों के नाम दर्ज भूमियों के नामांतमरण प्रभावित नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार निगरानी निराकृत की जाती है। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर दा0 द0 हो।

सदस्य